न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 77/2020

GCMS No. : 2020/00115

प्रार्थी :– बनाम अप्रार्थीगण :–

1. तहसीलदार, जैतारण
   लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार
   तहसील–जैतारण, जिला–पाली

1. रूस्तम खां पुत्र सरदार खां
2. मुसरत जहां पत्नि रूस्तम खां
   कौम सिपाही(मुसलमान) निवासी–
   जैतारण।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा–177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू – : 02.07.2020

उपस्थितः– 1. तहसीलदार, जैतारण, सरकार पैरोकार राज ।
2. श्री शाकिर हुसैन, सुनिल प्रजापति, अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 24/11/2020**

प्रार्थी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी तहसीलदार जैतारण के पद पर कार्यरत है एवं सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भूमिधारी है। अप्रार्थी की खातेदारी आराजी के सरहद मौजा जैतारण में आयी हुई है। जिसका खसरा नम्बर 40 रकबा 4.04 बीघा किस्म चाही सोयम लगान 11.01 प्रतिवर्ष के है। उक्त भूमि कृषि योग्य है और अप्रार्थी ने कृषि भूमि का अकृषि भूमि शराब की दुकान बनाकर उपयोग में ली जा रही है। उक्त भूमि कृषि योग्य है इसका उपयोग केवल मात्र कृषि कार्य में ही करने के अप्रार्थी अधिकारी है। अप्रार्थी उक्त आराजी में रकबा 4.04 बिघा किस्म बारानी दोयम पर कृषि से अकृषि कार्य मौके पर शराब की दुकान बनाकर उपयोग किया जा रहा है और भूमि की कृषि कार्य की उपयोगिता समाप्त कर दी है। उक्त भूमि सरहद मौजा जैतारण तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 40 रकबा 4.04 बीघा किस्म चाही सोयम लगान 11.01 प्रतिवर्ष आई हुई। जो अदालत हाजा के अधिकार क्षेत्र में है। प्रार्थी को अप्रार्थी द्वारा जमीन मुतनाजा का कृषि भिन्न कार्य (अकृषि कार्य) में उपयोग लेने की सूचना दिनॉक 29.06.2020 का प्राप्त होने पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जो समयावधि में है। दिनांक 29.06.2020 को मौका देखकर गया जिनमें उस भूमि पर किये गये निर्माण की फोटो संलग्न की जा रही है। जिसमें निर्माण किया गया तथा किया जा रहा है। न्यायालय तहसीलदार जैतारण पाली के प्रकरण संख्या 01/2019 सरकार जरिये पटवारी हल्का जैतारण बनाम मुसरतजहां पत्नि रूस्तम खां, रूस्तम खां पुत्र सरदार खां कौम सिपाही मुसलमान के विरूद्ध राज. भू राजस्व अभिनियम–1956 की धारा 90ए सपठित धारा के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 02.03.2020 की पालना में वाद दायर किया जा रहा है प्रति संलग्न की जा रही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है, कि अप्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल किये जावें।

सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishno
Date: 2020.11.26 15:24:52 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या एक व दो की ओर से वकालतनामा पेश हुआ। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो कि सा0 मि0 हैं।

जबाब प्रार्थनापत्र अप्रार्थी रूस्तमखां व मुसरत जहां की और से निम्न है प्रार्थनापत्र के पद संख्या 1 सही है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 2 सही है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 3 का जबाब है कि उक्त भूमि कृषि भूमि है और इस कृषि भूमि मे अप्रार्थीगण द्वारा आज तक कृषि एवं उससे सम्बन्धित तथा एक कृषक खातेदार को कानूनी प्रावधान और अधिकार के तहत कृषि से सम्बन्धित ही कार्य किये जाने चाहिये वही कार्य किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा अपनी कृषि भूमि मे कोई भी अकृषि कार्य यथा राधेरानी की रसोई एवं होटल रेस्टोरेन्स गार्डन इत्यादि बनाकर उपयोग मे नही ली गई है। प्रार्थी द्वारा अपनी मनमर्जी से बिना कोई ठोस आधार एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अप्रार्थीगण द्वारा उक्त कृषि भूमि पर अकृषि कार्य यथा राधेरानी की रसोई एवं होटल रेस्टोरेन्स गार्डन बगीचा इत्यादि बनाकर उपयोग मे लिये जाने केक सर्वथा गलत होने से अप्रार्थीगण स्पष्ट रूप अस्वीकार करते है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 4 का जबाब है कि उक्त भूमि कृषि भूमि है और अप्रार्थीगण द्वारा इसका उपयोग हमेशा कृषि प्रयोजनार्थ ही किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा आज तक कभी भी उक्त भूमि का उपयोग अकृषि कार्य मे नही किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं अन्य कानूनी प्रावधान के तहत अप्रार्थीगण ने अपने खातेदारी अधिकारो के तहत ही उक्त कृषि भूमि का उपयोग किया गया है, अप्रार्थीगण द्वारा कभी भी उक्त भूमि के सम्बन्ध मे गैरकानूनी कृत्य नही किया गया है। प्रार्थी ने आधारहीन अनावश्यक झूठे तथ्य एवं बिना कोई ठोस सबूत एवं दस्तावेजी साक्ष्य के यह प्रार्थनापत्र पेश किया है। जो काबिल खारिज के है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 5 का जबाब है कि अप्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी की उक्त कृषि भूमि पर मौके पर कोई राधेरानी की रसोई, होटल रेस्टोरेन्स गार्डन इत्यादि नही बनाया है न ही उक्त भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया गया है और न ही भूमि उपयोगिता समाप्त की है। प्रार्थी ने बिना कोई ठोस आधार के बिना कोई दस्तावेजी साक्ष्य के केवल मात्र अपने अधिकारो से परे जाकर एकतरफा बिना अप्रार्थीगण को सुनवाई को अवसर दिये यह कार्यवाही की गई है, जो विधि के प्रावधानो को अनदेखा कर कार्यवाही की है। इसलिए इस आधार से भी उक्त प्रार्थनापत्र कानूनन पोषणिय नही होने से काबिल खारिज के है। यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि अप्रार्थीगण पशुपालक एवं खेती व दुध बेचने का व्यवसाय कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करते है। अप्रार्थीगण अपने खातेदारी अधिकारो के तहत एवं विधि के प्राधधानो के तहत भी अपनी उक्त कृषि भूमि मे अपने मवेशीयो को रखने, उनके लिये चारा एवं अपने खेत से फसल को रखने व अपने स्वयं के रहवास के लिये तथा दूध बेचने के लिये केलूपोश पडवे और टीनशेड बनाये है। जो धारा 66 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत उक्त कार्य अपनी भूमि में सुधार (इम्प्रूमेन्ट) की तारीफ मे आते है। धारा 66 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के उक्त प्रावधान के तहत एक खातेदार काश्तकार को अपनी कृषि भूमि मे अपने रहवासी मकान, फसल रखने व अपने मवेशीयो को रखने, चारा रखने एवं दूध बेचने

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bish
Date: 2020.11.26 15:24:52 IST
Reason: SelfAttested

का अधिकार है। जो किसी भी सूरत मे अकृषि प्रयोजनार्थ कार्य नही है और अप्रार्थीगण द्वारा अपनी उक्त कृषि भूमि मे उक्त केलूपोश पडवे व टीनशेड बना रखे है वह 500 वर्गमीटर से कम है। इसलिए यह कतई नही कहा जा सकता कि अप्रार्थीगण ने अपनी उक्त भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ काम मे लिया है। प्रार्थी ने बिना कोई जांच किये और बिना कोई विधिक प्रक्रिया अपनाये तथा बिना अप्रार्थीगण की उपस्थिति मे मौका देखकर यह कार्यवाही बिना कोई ठोस आधार एवं दस्तावेजी साक्ष्य के पेश की गयी है जो खिलाफ कानून होने से काबिल खारिज के है। यहां पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम रतनपुरा तहसील जैतारण जिला पाली राज0 मे स्थित है और राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रो मे कृषि भूमि का आकृषिक प्रयोजनो के लिये समपरिवर्तन नियम 2007 की धारा 5 के अनुसार कोई भी काश्तकार अपनी कृषि भूमि पर रिहायसी मकान, केट्ल रोड, स्टोर हाउस जो 500 वर्गमीटर से अधिक नही हो वह बिना कन्वर्जन चार्जेज व बिना आज्ञा के बना सकता है। जबकि अप्रार्थीगण ने तो अपनी कृषि भूमि मे 500 वर्गमीटर से बहुत कम भूमि पर केलूपोश पडवे व टीनशेड अपने स्वयं के रहने के लिये, पशुओ को बांधने के लिये, चारा रखने के लिये, फसल रखने के लिये और दूध बेचने के लिये बनाये है। जो अप्रार्थीगण का कानूनी अधिकार है। इसलिए धारा 90 ए राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के प्रावधान इस प्रकरण मे लागू ही नही होते है। अप्रार्थीगण ने उक्त कानूनी प्रावधानो एवं नियमो के तहत ही अपनी उक्त कृषि भूमि पर उक्त कार्य किया है, जो किसी भी सूरत मे अकृषि प्रयोजनार्थ नही है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र कानूनन पोषणिय नही होने से काविल खारिज के है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 6 का जवाब है कि उक्त भूमि सरहद मौजा जैतारण मे स्थित नही होकर सरहद मौजा ग्राम रतनपुरा तहसील जैतारण मे स्थित है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र के इस पद मे यह उल्लेख किया कि अप्रार्थीगण द्वारा जमीन मुतनाजा का कृषि भिन्न कार्य अकृषि कार्य मे उपयोग लेने की सूचना प्राप्त होने पर अप्रार्थीगण के विरुद्ध यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है इस सम्बन्ध मे यह उल्लेख किया जाता है कि प्रार्थी को उक्त प्रकार की सूचना किस तारीख को और किस माध्यम से प्राप्त हुई अपने प्रार्थनापत्र मे कोई उल्लेख नही है। इसलिए प्रार्थी द्वारा सही तथ्यो को न्यायालय से जानबुझकर छुपाकर यह प्रार्थनापत्र पेश किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपने अनेक न्यायिक निर्णयो मे यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि जो पक्षकार न्यायालय मे सही तथ्यो को छुपाता है वह न्यायालय से कोई भी दादरसी प्राप्त करने का कानूनन हकदार नही होता है। इसलिए प्रार्थी इस प्रकरण के माध्यम से माननीय न्यायालय हाजा से इस कानूनी आधार से भी कोई भी दादरसी प्राप्त करने का हकदार नही होने से प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज किया जावे। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 7 का जबाब है कि दिनांक 29/06/2020 को प्रार्थी द्वारा मौका देखना बताया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत है क्योकि मौका देखा गया उसकी सूचना न तो अप्रार्थीगण को दी और न ही उपस्थिति मे मौका देखा गया है और प्रार्थी द्वारा इस प्रार्थनापत्र के साथ जो फोटो संलग्न की गई है वह भी अप्र[illegible]

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar B
Date: 2020.11.26 15:24:52 IS
Reason: SelfAttested

अ[illegible]स्थिति मे मौका देखा गया तब की है जो केवल मात्र बनावटी है क्योकि प्रार्थी द्वारा बिना अप्रार्थीगण को सूचना दिये तथा बिना उनकी उपस्थिति में मौका देखकर फोटो खिंचकर पेश करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से कतई विश्वास योग्य नहीं है व न ही इस मौका रिपोर्ट फोटोग्राफ पर भरोसा किया जा सकता है। यहां पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जैसी मौका रिपोर्ट एवं फोटोग्राफ पेश किये गये है मौके कोई स्थिति नही है। इसके लिये अलग से अप्रार्थीगण की और से मौका देखकर मौका रिपोर्ट दोनो पक्षों की उपस्थिति में न्यायालय में मंगवाने हेतु प्रार्थनापत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी का प्रस्तुत किया गया है। इसलिए इन सभी परिस्थितिया में भी प्रार्थी का प्रार्थनापत्र पोषणिय नही होने से काबिल खारिज के है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या का जवाब है कि प्रकरण संख्या 1/2019 न्यायालय तहसीलदार जैतारण में धाराए के अन्तर्गत जो निर्णय दिनांक 02/03/2020 पारित किया गया है वह एकपक्षय आदेश है और अप्रार्थीगण को बिना सुने ही पारित किया जाना है, जिसकी जानकारी होने पर अप्रार्थीगण द्वारा इस आदेश के विरूद्व सक्षम न्यायालय में कार्यवाही कर, उनकी प्रमाणित प्रतिसिमियां माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की जायेगी। अतः जवाब प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र व मौके के वर्तमान स्थिति के फोटोग्राफर पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र जबाब में वर्णित आधारों एवं कानूनी प्रावधानों एवं सिद्धान्तो के तहत कानूनन पोषणिय नहीं होने से खारिज किया जाने।

वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र मय फोटोग्राफ पेश किया जो कि सा0 मि0 किये गए। प्रार्थना पत्र में जाहिर किया कि अप्रार्थीगण की ओर से दिनांक 14.08.2020 को धारा 178(2) राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रार्थना पत्र पेश किया जो प्रार्थना पत्र में 02.09.2020 में स्वीकार किया गया। माननीय न्यायालय हाजा ने धारा 178(2) राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण में जो आदेश पारित किया है, उस आदेश माफिक मौके पर उक्त आराजी पर वर्तमान में कोई भवन, बिल्डिंग, रेस्टोरेन्ट नहीं है और अप्रार्थीगण ने उक्त आराजी पर पूर्व में दूध बेचने का जो व्यवसाय था वो भी बन्द कर दिया है और उक्त आराजी पर केवल मात्र कृषि व कृषि संबंधित ही कार्य किया जा रहा है। मौके पर राधे रानी की रसोई, होटल, गार्डन, रेस्टोरेन्ट, बगीचा नहीं है, न ही उक्त भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोजनार्थ किया जा रहा हैं, मौके पर जो अप्रार्थीगण की रहवास हेतू व चारा रखने एवं अपने मवेशीयों को रखने के लिए केलूपोश पड़वों को भी ध्वस्त कर हटा दिया है जिसकी रंगीन फोटों प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। उक्त कृषि भूमि पर मौके पर कोई अकृषि कार्य नहीं किया जा रहा है और उक्त भूमि का स्वरूप वर्तमान में केवल काश्त से संबंधित ही है। अकृषि प्रयोजनार्थ स्थिति मौके पर नहीं है, इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र/वादपत्र काबिल चलने योग्य नहीं है। इसी स्तर खारिज फरमावें। पटवारी हल्का जैतारण से उक्त प्रकरण की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट प्राप्त की गई।

पटवारी हल्का जैतारण द्वारा मौका फर्द रिपोर्ट मय [illegible] पेश किया गया जो कि सा0 मिसल है। राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 77/2020 अनवान [illegible]

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar
Date: 2020.11.26 15:24:52
Reason: SelfAttested

बनाम रुस्तम खां वगैरह अन्तर्गत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम में अप्रार्थी ने विवादित आराजी की पूर्व स्थिति बहाल कर प्रार्थना पत्र कि फोटोग्राफ पेश किये है। श्रीमान् उक्त विषयान्तगत जांच की गई तथा मौका देखा गया जहां पर मौके पर अकृषि प्रयोजनार्थ स्थिति मौके पर नहीं है। पूर्व में बनाए गये रेस्टोरेन्ट, होटल वगैरा मौके पर ध्वस्त पाया गया है।

पत्रावली मय दस्तावेजात, जबाब कार्यवाही मय फहरिश्त दस्तावेज एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथा पटवारी हल्का जैतारण की जाँच रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रकरण में उभय पक्षकारान की बहस ध्यानपूर्वक सुनी गई और उस पर मनन किया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रतिवादी खातेदार द्वारा वादग्रस्त आराजी का मौके पर अकृषि प्रयोजनार्थ होटल एवं रेस्टोरेन्ट प्रयोग में लिये जानें पर यह वाद प्रस्तुत कर बेदखली हेतू निवेदन किया। प्रतिवादी द्वारा हस्तगत प्रकरण से सम्बधित अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना-पत्र में एक प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 178(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी को मूल स्वरुप में लौटानें या संपरिवर्तन करवाए जानें बाबत् अवसर प्रदान किए जानें का निवेदन किया जिसे स्वीकार किया जाकर दो माह का समय प्रदान किया गया। इसी प्रकार प्रतिवादी खातेदार द्वारा एक प्रार्थना-पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 07 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 प्रस्तुत कर निवेदन कियसा कि वादग्रस्त आराजी की मौके की वास्तविक एवं निष्पक्ष स्थिति मंगवाने हेतू कमिश्नर नियुक्त कर मौके रिपोर्ट मंगवाने जावें, जिसे स्वीकार कर कमिश्नर नियुक्त कर उभय पक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 18.09.2020 के अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 40 में एक दरवाजा लगा हुआ है, जिस पर केसर कृषि फार्म लिखा हुआ है, मुख्य दरवाजे के पास एक कमरा बना हुआ है, तथा सामने खुली जगह है, आगे घास लगी हुई है तथा आस-पास की भूमि पर मूंग व ज्वार की फसल बाड़े हुई, घास के पास कातले रोपकर पानी का होज व चारा डालनें का स्थान बना हुआ है। एक हॉल बना हुआ है, जिसमें चारा भरा हुआ है, जिसके उस पर काला तिरपाल लगाया हुआ है, मौके के फोटोग्राफ से इन तथ्यों की पुष्टि होती है। तत्पश्चात प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 26.10.2020 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसके द्वारा मौके पर रहवास, चारा, पानी व मवेशियों हेतू जो केलूपोश के पड़ने आदि बना रखे थे, उन्हें भी ध्वस्त करवा कर मौके से हटा दिए है, जिसके रंगीन फोटोग्राफ भी पेश किए तथा निवेदन किया कि प्रतिवादी के विरुद्ध विचाराधीन प्रकरण समाप्त किया जावें। हमनें उपर्युक्त प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों एवं प्रस्तुत फोटोग्राफ स्थिति से मिलान कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करनें हेतू हल्का पटवारी, जैतारण से रिपोर्ट तलब की जिस पर पटवारी जैतारण द्वारा मौका फर्द दिनांक 28.10.2020 मय को फोटोग्राफ प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पर पूर्व में खातेदारान द्वारा बनाए गए राधेरानी होटल, रेस्टोरेन्ट एवं गार्डन वगैरा वर्तमान में मौके पर नही पाये गए है। उक्त भूमि का उपयोग वर्तमान में अकृषि प्रयोजनार्थ नहीं किया जा रहा है। पूर्व में निर्मित सभी संरचनाएं ध्वस्त कर मौके पर हटा ली गई है। प्रस्तुत फोटोग्राफ के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी में वर्तमान में मौके पर खाली एवं समतल पड़ी है, तथा वर्तमान [illegible] उपयोग अकृषि प्रयोजनार्थ नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार [illegible]

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar B
Date: 2020.11.26 15:24:52 IS
Reason: SelfAttested

अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा प्रतिवादी खातेदार का धारा 178 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रदान की गई मोहलत के अंतर्गत वादग्रस्त आराजी को मूल स्वरूप प्रदान कर दिया है तथा वर्तमान में इस आराजी का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं होनें एवं मौके से सभी संरचनाएं ध्वस्त कर हटा लिए जानें से अब प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अस्वीकार किया जाना विधिसंगत एवं उचित रहेगा।

–: आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद वादी अंतर्गत धारा 177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित नहीं होनें एवं सारहीन होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण,
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनांक 24/11/2020 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण,
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bis
Date: 2020.11.26 15:24:52 IST
Reason: SelfAttested